न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 41/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/170

अपीलाण्ट :–

श्रीमती रामीदेवी पुत्री स्व. मानदास पत्नी स्व. मांगुदास जाति साद भांबीयान निवासी 597 राजीव कॉलोनी मंडिया रोड पाली (राज.) हाल निवासी ससुराल बाली (रिसानिया) तहसील मारवाड़ जंक्शन पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. सालगराम पुत्र स्व. मानदास
2. मनोहरदास पुत्र स्व. मानदास
3. पृथ्वीराज पुत्र स्व. मानदास
4. स्व. नेमीचन्द पुनिया पुत्र स्व. श्री मानदास वारिसान :–
   4/1. प्रकाश पुत्र स्व. नेमीचन्द
   4/2. लेखराज पुत्र स्व. नेमीचन्द
   4/3. योगेश पुत्र स्व. नेमीचन्द
   4/4. प्रवीण पुत्र स्व. नेमीचन्द
   4/5. कविता पुत्री स्व. नेमीचन्द
   4/6. पुजा पुत्री स्व. नेमीचन्द
   4/7. दुर्गादेवी पत्नी स्व. नेमीचन्द
   समस्त जातिगण साद भांबीयान, निवासीगण मकान संख्या 41 भलावतों का बास भैरूघाट, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)
5. स्व. कान्तादेवी पत्नी स्व. मोहनदास पुत्री स्व. मानदास के विधिक वारिसान्
   5/1. धनश्यामदास पुत्र स्व. मोहनदास जाति साद भांबीयान निवासी नागोरी गेट जोधपुर
6. स्व. श्यामदेवी पुत्री स्व. मानदास पत्नी बद्रीदास के कायम मुकाम
   6/1. पिण्टुदास पुत्र बद्रीदास
   6/2. तिलोकदास पुत्र बद्रीदास
   6/3. संतोष देवी पुत्री बद्रीदास
   6/4. कंचन पुत्री बद्रीदास
   6/5. लता पुत्री बद्रीदास
   समस्त जातिगण साद भांबीयान निवासीगण विकास नगर पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)
7. तहसीलदार पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा,
श्री तरूण उपाध्याय
रेस्पो. संख्या 1, रेस्पो. संख्या 2, रेस्पो. संख्या 3, रेस्पो. संख्या 4/1, रेस्पो. संख्या 4/2 व रेस्पो. संख्या 4/4 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 23.12.2024

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम पाली चक I नामान्तरकरण संख्या 710 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 1, रेस्पो. संख्या 2, रेस्पो. संख्या 3, रेस्पो. संख्या 4/1, रेस्पो. संख्या 4/2 व रेस्पो. संख्या 4/4 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार वक्त बहस उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल वक्त बहस असालतन एवं वकालतन बार–बार आवाजे लगाये जाने पर भी न्यायालय में अनुपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा पाली चक I में खसरा संख्या 238 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या 237 रकबा 14 बीघा कुल 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि मानदास, गोविन्ददास पुत्र किशनदास साद की खातेदारी, कब्जाशुदा व काश्तशुदा भूमि आई हुई है। रेस्पो. सालगराम मनोहरदास, पृथ्वीराज और नेमीचन्द मानदास के पुत्र हुए और अपीलार्थी मानदास जी की पुत्री हुई और अपीलार्थी के अलावा मानदास जी की पुत्री कान्तादेवी और श्यामादेवी हुई थी। वर्तमान में मानदास जी के पुत्र नेमीचन्द का स्वर्गवास हो चुका है और मानदास जी की पुत्रियां कान्तादेवी एवं श्यामादेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए इस प्रकरण में अपीलार्थी मानदास की पुत्री के रूप में पक्षकार है और मानदास जी के जीवित पुत्र के रूप में सालगराम, मनोहरदास, पृथ्वीराज को रेस्पोडेण्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया है और मानदास जी के स्वर्गीय पुत्र नेमीचन्द पुनिया के और स्वर्गीय पुत्री कान्तादेवी और श्यामादेवी के विधिक वारिसान को रेस्पोडेण्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया है। मानदास जी और गोविन्ददास जी आपस में सगे भाई थे और गोविन्ददास जी की मृत्यु के समय गोविन्ददास जी के कोई औरत और लड़का जीवित नहीं था इस कारण वादग्रस्त भूमि में गोविन्ददास जी के हिस्से की भूमि भी मानदास जी के वारिसान को प्राप्त हुई है। जैर आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार अपीलार्थी का जन्म से ही हक, हिस्सा अधिकार था क्योंकि वादग्रस्त भूमि किशनदास जी की भूमि थी जो किशनदास के स्वर्गवास के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मानदास जी और गोविन्ददास जी को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि है। मानदास जी व गोविन्ददास जी के फौत होने पर जैर नामान्तरकरण मात्र उनके पुत्र रेस्पो. संख्या 01 लगायत रेस्पो. संख्या 04 के नाम स्वीकृत किया गया जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसानों में उसकी पुत्रियों को भी शामिल किया गया है जो विधि विरूद्ध हाने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे व जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान वकील अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि जैर नामान्तरकरण विधिनुसार ही स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा आधारहीन अपील प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट का मानदास की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट जो कि मृतक मानदास की पुत्रियां है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 710 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृतक मानदास की विरासत में उनकी पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है। साथ ही यदि इस दौरान मृतक मानदास के वारिसान पुत्रान् द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है तो यह स्पष्ट होता है कि मृतक मानदास की विरासत में विक्रेता पुत्रों के हक तक का विक्रय किये जाने को मान्य माना जाना चाहिए परन्तु यदि अपने हक से अधिक पुत्रान् द्वारा विक्रय किया गया है तो उससे पुत्रियां बाध्य नहीं होगी।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम तहसीलदार पाली द्वारा मौजा ग्राम पाली चक I के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 710 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित करते है कि विपक्षी को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए नव सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.02.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner